भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3197

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

झारखंड में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना

3197. श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लंबे समय से अधूरी पड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप कोल्हान डिवीजन के लाखों किसान अभी भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2017 के मूल्य सूचकांक के आधार पर उक्त परियोजना के शेष कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 3,700 करोड़ रुपये है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केवल लगभग 606 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत/लंबित है, जो कुल अनुमानित लागत का लगभग पंद्रह प्रतिशत है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार झारखंड राज्य सरकार से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त होने पर एआईबीपी के तहत इस परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सहायता या विशेष पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं का नियोजन, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार स्वयं किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

झारखंड राज्य की सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान देश की 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से एक है। एआईबीपी कार्यों के लिए 9,579.58 करोड़ रुपये (वर्ष 2017 के मूल्य स्तर पर) की संशोधित स्वीकृत लागत में से 5,862.20 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1,373.698 करोड़ रुपये की उपयुक्त केंद्रीय सहायता में से 756.73 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। 3,717.38 करोड़ रुपये की शेष लागत में से 616.968 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अभी बाकी है, जो कि 16.6% है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की धीमी प्रगति, परियोजना के पूर्ण होने में विलंब का मुख्य कारण है।

(ग): वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
